न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 31/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. छोगा पिता अमरचन्द गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
--प्रार्थी

बनाम

1. रतन पिता छोगा सालवी निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मेहन पिता छोगा सालवी निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. सोहन पिता धुकल गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. जोधा पिता धुकल गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. भेरू पिता धुकल गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. नारायण पिता भोना गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. उदयराम पिता लालु गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. रतनलाल पिता लालु गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. सुखा पिता लालु गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रतनलाल पिता ज्वारू शर्मा निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः-06.03.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1865 रकबा 0.43 हे0 किस्म बीड़ भूमि राजस्व खाता संख्या 83 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध को दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 130 / 2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1865 रकबा 0.43 हे0 किस्म बीड़ भूमि राजस्व खाता संख्या 83 पर स्थित हैं। भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 /— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 /— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.03.06 14:49:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: